

(लोक सभा द्वारा 19.12.2022 को पारित रूप में)

2022 का विधेयक संख्यांक 219-सी

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6— कर्नाटक, प्रविष्टि 16, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“16. काडू कुरुबा, बेट्टा-कुरुबा”;

संक्षिप्त नाम।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां)
आदेश, 1950
का संशोधन ।